न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 29/2017 (223 आर0 टी0 एक्ट)
आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2017/00253

उनवान

1. शेर सिंह आयु 10 साल पुत्र स्व0 श्री सरदार पुत्र सम्पत्ति } नाबालिग जरिये माता लौंगश्री
2. विमलेश आयु 12 साल पुत्री स्व0 श्री सरदार पुत्र सम्पत्ति }
3. लौंगश्री आयु 40 साल पत्नी स्व0 श्री सरदार जाति जाटव निवासी एत्मादपुर तहसील बयाना।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. रामबाबू आयु 30 साल पुत्र स्व0 श्री सम्पत्ति जाति जाटव निवासी एत्मादपुर तहसील बयाना।
2. रामौती आयु 52 साल पत्नी स्व0 सम्पत्ति जाति जाटव निवासी ग्राम एत्मादपुर, तह0 बयाना।

..... असल रैस्पो0

3. सौनदेई पत्नी हरज्ञान जाति जाटव निवासी एत्मादपुर तहसील बयाना।

.....तरतीवी रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना दिनांक 21.03.11 मि.नं. 27/08 उनवानी शेर सिंह बनाम रामबाबू ।

उपस्थित :–
1. श्री ताराचन्द महावर अधिवक्ता अपीलाण्ट।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक :– 28.12.2017

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.03.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादीगण ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विरूद्ध रैस्पो0/ प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी किता 6 कुल क्षेत्रफल 2.69 है0 वाके ग्राम अलापुरी तहसील बयाना में स्थित है। जिसके अपीलाण्ट/वादीगण वहिस्सा बराबर 1/6 भाग, असल रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 01 रामबाबू 1/6 व तरतीवी रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 03 सोनदेई 1/3 भाग की तथा गिर्राज पुत्र चुन्नी 1/3 भाग के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी हैं। किन्तु रैस्पो0/प्रतिवादिनी संख्या 02 बहुत ही चतुर व चालाक किस्म की महिला है। उसने अपीलाण्ट/वादी संख्या 01 व 02 की नाबालिगी का नाजायज फायदा उठाने की नियत से

मृतक गिर्राज के यहॉ खानन्दाज की स्थिति में उसकी पत्नी होने के प्रमाण जुटा लिये एवं इन प्रमाणों के आधार पर मृतक गिर्राज के 1/3 भाग की भूमि को नाजायज रूप से हडपने का षडयंत्र रचना शुरू कर दिया। जिनके आधार पर असल रैस्पो0/प्रतिवादीगण ने मृतक गिर्राज की छोडी हुयी आराजी में 1/3 भाग से भूमि नहीं देना चाहते हैं और धमकी देते हैं कि उक्त आराजी की रिलीज डीड रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 01 के हक में करावाकर न्यारान्यूर नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज करायेगें। अतः वाद प्रस्तुत कर मृतक गिर्राज पुत्र चुन्नी के 1/3 भाग से 1/6 भाग में खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं रैस्पो0/प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रैस्पो0 को तलव किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये, उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस अपीलाण्ट सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी लिखित बहस में अपील मीमो के कथनो को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन डिक्री विधि विरूद्ध एंव पत्रावली पर सिद्ध तथ्यों के विपरीत एवं प्राकृतिक न्यायिक दृष्टांतो के विपरीत पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस उज्र पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि पर अपीलाण्ट विधिवत रूप से अरसा दराज से काबिज होकर मौके पर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा अपीलाण्ट का कब्जा काश्त होने बाबत् रैस्पो0 ने कोई एतराज भी नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 उपस्थित हुये, परन्तु उनके द्वारा जवाव भी पेश नहीं किया गया है और ना ही उन्होनें मुकदमा लडने में अपनी रूचि ही दिखलाई है, इस प्रकार रैस्पो0 की मूल सहमति रही है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में भी स्वीकार किया है। परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को मृतक गिर्राज का वारिस नहीं मानने में भारी भूल की है। इसके अलावा अपीलाण्ट ने अपने दावे को पूर्णरूप से सिद्ध किया है। अपीलाण्ट ने अपनी साक्ष्य में दस्तावेजी सबूत एवं जबानी साक्ष्य भी कराई गई हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट का दावा खारिज किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं बहस अपीलाण्ट पर पर मनन किया। अपीलाण्ट/वादीगण स्वयं को मृतक गिर्राज का वारिस बताते हुए, विवादित आराजी में मृतक गिर्राज पुत्र चुन्नी के 1/3 भाग में से 1/6 भाग पर अपना दावा करते हैं। परन्तु अपीलाण्ट/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में ना तो कथित मृतक गिर्राज की मृत्यु की पुष्टि में मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है और ना ही स्वयं को उसके वारिस होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही पेश की है। इसके अतिरिक्त विवादित आराजी पर स्वयं के कब्जे काश्त को भी किसी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं किया है। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में मौखिक साक्ष्य प्रभावहीन है। मौखिक साक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। अपीलाण्ट/वादीगण अपने वाद को पुष्ट करने में असमर्थ रहें हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से साक्ष्य के अभाव में अपीलाण्ट/वादी का दावा खारिज किया है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज योग्य पाते हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.03.2011 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 28.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official